(b) if so, the number of people killed and injured and the estimated loss to properties so far;

(c) whether Government have offered any financial assistance to the State Government so far;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether this assistance is in tune with the demand of the State Government; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) : (a) Yes, Sir.

(b) As per the latest report received from the Government of Andhra Pradesh, the tentative number of people killed, injured and the estimated loss to properties according to them so far is as under :—

1. Number of people killed	976
2. Number of people injured	No information has been received from the State Government so far.
3. Loss to the properties	Rs. 792.78 crores.

(c) and (d) Andhra Pradesh State has been allocated Rs. 86.00 crores under the Calamity Relief Fund for the year 1990-91. 75% of this amount is to be provided by the Central Government as a non-Plan grant. Balance 25% is to be met by the State Government from their own resources. The Central share of Calamity Relief Fund is to be released to the State Government in 4 equal quarterly instalments. Keeping in view the severity of the situation, Central Government has released Rs. 32.25 crores to the State Government of Andhra Pradesh on 14-5-1990 towards first two quarterly instalments of the Central share of the Calamity Relief Fund. In addition, Rs. 2.00 crores have been released from the Prime Minister's National Relief Fund. Further, Rs. 78·00 lakhs has been released from the Indian People's Natural Calamities Trust for providing assistance to the families of the deceased persons.

(e) and (f) The State Government has requested for the release of Rs. 64·50 crores that is the entire share of the Central Government towards the Calamity Relief Fund of the State for the year 1990-91. The remaining share of the Central Government towards Calamity Relief Fund amounting to Rs. 32.25 crores will be released as soon as the amount of Rs. 32.25 crores already released is utilized by the State Government.

बिलासपुर, रायगढ़ से भोपाल तक सीधी रेल सेवा

*354. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिलासपुर और रायगढ़ के बीच 200 किलोमीटर की दूरी में किसी भी स्टेशन का भोपाल के साथ सीधा रेल-सम्पर्क नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूरे रायगढ़ जिले और मध्य प्रदेश के कोरबा औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भोपाल तक कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के निवासी पिछले कई वर्षों से सीधी रेल सेवा की मांग कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की सेवा को बिलासपुर से झारसुगुडा तक बढ़ाया जाएगा?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, रायगढ़ के रास्ते हवड़ा और भोपाल के बीच चलने वाले दूसरे दर्जे के सीधे शयनयान को छोड़कर।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण

*355. **श्री राम नरेश यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वरूप तथा उसके कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित अनेक जांच समितियों और आयोगों ने इस संबंध में आमूल परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों का गठन कब किया गया था और उन्होंने सरकार को अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत कीं;

(ग) सरकार द्वारा उनके संबंध में अभी तक कोई निर्णय न लिये जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में इस संबंध में कोई निर्णय ले लिये जाने की संभावना है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) इस प्रकार की गत समिति "दिल्ली-विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की गहन जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति" थी। यह 25 अक्तूबर, 1977 को गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट जून, 1978 में दी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करने तथा इसमें सुधारों का सुझाव देने के लिए 1984 में मेसर्स टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेस को भी कार्य सौंपा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत की। सातवीं लोकसभा की प्राकलन समिति ने वर्ष 1984-85 की अपनी 85वीं रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया था। दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन संबंधी समिति (1987 में गठित) में दिसम्बर, 1989 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंध में टिप्पणियां की।

इन सब समितियों की सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से असम्बद्ध कार्य निकाल दिये जायें और इसे अपने प्रमुख कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए अर्थात् दिल्ली की बृहत योजना तैयार करना और बृहद योजना के अनुसार दिल्ली का विकास करना।

उपर्युक्त सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार ने 1987 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का निर्णय लिया था। तथापि, दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन संबंधी समिति 1987 के अंत में गठित की गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के संबंध में निर्णय पर कार्यवाही नहीं की गई थी। दिल्ली के ढांचे संबंधी समिति की सिफारिशें फिलहाल गृह मंत्रालय के विचाराधीन हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन पर आगे कार्रवाई अब दिल्ली के भावी ढांचे पर निर्णय को देखते हुए की जायेगी।

*356 *Transferred to the 28th May 1990.*

Complaints regarding sinking of DDA Flats

*357. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state whether Government have received any complaints recently re-